बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक प्र010/विविध/धान अधि0- 07/2017 64 खाद्य/पटना/दिनांक- 4/1/2018

ई-मेल
फैक्स

प्रेषक,

चन्द्रशेखर, भा0प्र0से0,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।

विषय :- खरीफ विपणन मौसम 2017-18 में धान अधिप्राप्ति के लिए पैक्स/व्यापार मंडल को अनुमान्य आकस्मिक (Incidentals) व्यय के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि खरीफ विपणन मौसम 2017-18 में धान अधिप्राप्ति के लिए भारत सरकार द्वारा धान/सी0एम0आर0 चावल का न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ-साथ अधिप्राप्ति में संलग्न एजेन्सियों के लिए विभिन्न मदों में आकस्मिक (Incidentals) व्यय का प्रावधान किया गया है। ज्ञातव्य हो कि बिहार में खरीफ विपणन मौसम 2017-18 में धान अधिप्राप्ति हेतु पैक्स/व्यापार मंडल को किसानों से धान अधिप्राप्ति का दायित्व दिया गया है। भारत सरकार द्वारा आकस्मिकता के विभिन्न मदों में धान अधिप्राप्ति एजेन्सियों को दिये जाने वाले व्यय में से पैक्स/व्यापार मंडल को कितनी राशि देय होगी, इस विषय पर दिनांक 22.11.2017 को विकास आयुक्त की अध्यक्षता में सभी राज्य अभिकरणों के पदाधिकारियों के साथ सम्पन्न बैठक में सम्यक विचारोपरांत निम्नांकित आकस्मिक (Incidentals) व्यय की दरें संसूचित की जा रही है :-

आकस्मिक व्यय विवरणी	भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक दर (रू0 प्रति क्वीं0)	पैक्स/व्यापार मंडल को धान क्रय के लिए देय राशि (रू0 प्रति क्वीं0)	पैक्स/व्यापार मंडल को सी0एम0आर0 क्रय के लिए राशि (रू0 प्रति क्वीं0 धान के लिए)
Mandi Labour Charges (Holding Charges)	8.84	4.42	8.84
Transporation Charges for transporation of paddy	38.51	14.14	38.51
Driage @ 1% of the MSP	15.50	-	15.50
Commission to Societies	31.25	31.25	31.25
Custody and maintenance charges	4.80	0.60	4.80
Interest charges @ Rs. 10.03 per Qt. for two month on MSP, VAT and Mandi Labour Charges.	26.06	6.43	13.03
Milling charges execluding Rs. 5.00 per Qtl. As transpotation charges for 0-8 KMS on each side from mills for paddy as well as rice	10.00	-	10.00
Total	134.96	56.84	121.93

उपर्युक्त के अतिरिक्त भारत सरकार के द्वारा पैक्स/व्यापार मंडलों को गन्नी बैग के भुगतान आदि पूर्व की व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए Usage Charges के रूप में भुगतान किये जाने की व्यवस्था की गयी है। बैठक के दौरान विमर्शोपरांत निर्णय लिया गया कि गन्नी बैग के Usage Charges के रूप में पैक्स/व्यापार मंडलों को 2.17 रू0 प्रति क्वीं0 धान पर भुगतान किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि तदनुसार अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों सहित सभी पैक्स/व्यापार मंडल को इस निदेश से अवगत कराते हुए इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

04/I

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक प्र010/विविध/धान अधि0– 07/2017 64 खाद्य/पटना/दिनांक– 4/1/18
प्रतिलिपि – प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, सोन भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि वे इसकी जानकारी अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों/कर्मचारियों को देते हुए इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय।

04/I

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक प्र010/विविध/धान अधि0– 07/2017 64 खाद्य/पटना/दिनांक– 4/1/18
प्रतिलिपि – सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ।

04/I

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक प्र010/विविध/धान अधि0– 07/2017 64 खाद्य/पटना/दिनांक– 04/1/18
प्रतिलिपि – विकास आयुक्त, बिहार, पटना/प्रशासक, बिहार राज्य सहकारिता बैंक, पटना/सभी जिलों के प्रभारी प्रधान सचिव/सचिव/सभी जिलों के प्रभारी मा0 मंत्री को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/I

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक प्र010/विविध/धान अधि0– 07/2017 64 खाद्य/पटना/दिनांक– 04/1/18
प्रतिलिपि – माननीय मंत्री के आप्त सचिव, सहकारिता विभाग एवं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/सचिव कोषांग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ।

04/I/XVIII

सरकार के अपर सचिव।